बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन।

भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर

मंगलवार, तिथि 18 जुलाई, 1989 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में **मंगलवार, तिथि 18 जुलाई, 1989** को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष, **श्री मो० हिदायतुल्ला खाँ** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
तिथि-18 जुलाई, 1989 ई०

विश्वनाथ त्रिवेदी
सचिव,
बिहार-विधान सभा

पी०, भभुआ के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है।

रिक्त पदों पर पदस्थापन

1911. **श्री मंसूर आलम** : क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में गत एक वर्ष से जिला शिक्षा पदाधिकारी गत पांच वर्षों से अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, जिला उप शिक्षा अधीक्षक, क्षेत्रीय तथा पदाधिकारियों का पद रिक्त है;

(1) जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार एवं अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी का पद 13.1.89 एवं वहां के शिक्षा उपाधीक्षक का एक पद 1986 से दूसरा पद 1987 से एवं क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी के दो पद 1987 से एवं एक पद मार्च, 89 से रिक्त है।

(2) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा अधीक्षक को ही चार पदों का पदभार दिया गया जिसमें कोई भी काम सही समय पर नहीं हो पाता है;

(2) जिला शिक्षा अधीक्षक, कटिहार अपने कार्य के अतिरिक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, एवं अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार का भी कार्य कर रहे है।

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलंब उक्त रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार

(3) जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार के पद पर शीघ्र पदस्थापन कर दिया जायेगा। शेष पदों हेतु भी पदाधिकारी उपलब्ध

रखती है? यदि हां तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

होते ही पदस्थापन कर दिया जायगा।

श्री कुमार की विरमित करने के संबंध में

1912. **श्री अशोक सिंह :**

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में पर्यावरण अभियन्ता के पद पर हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड के अभियन्ता श्री मुकेश कुमार की वांछित अर्हता नहीं रहने के कारण दिनांक 1.8.86 को पर्षद द्वारा नियुक्ति की गई।

प्रभारी मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग : (1) इस प्रश्न का उत्तर तत्कालीन मंत्री, वन एवं पर्यावरण द्वारा 28.6.88 को सदन में दिया जा चुका है। श्री कुमार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सटक्शन लिमिटेड से 1.8.86 से प्रतिनियुक्त है। पर्यावरण अभियन्ता हेतु जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गयी है, वह सीधी नियुक्ति हेतु है सरकार के विचार में श्री कुमार प्रति नियुक्ति के समय सहायक पर्यावरण अभियन्ता की पूर्ण योग्यता रखते थे तथा पर्यावरण अभियन्ता के पद हेतु निर्धारित अवधि से ज्यादा अनुभव उन्हें प्राप्त था। आज उन्हें पर्यावरण अभियन्ता हेतु निर्धारित सभी योग्य एवं अनुभव प्राप्त है।

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री ने दिनांक 15.5.

(2) पर्षद को सरकारी आदेश वन एवं पर्यावरण विभाग